



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकारका उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

वेतन एवंलेखाअनुभागPay & Accounts

CIN: U32201UP1999SGC024928

14.Ashok Marg, Shakti Bhawan Lucknow, 14-अशोक मार्ग, शक्तिभवन, लखनऊ (Email ID: vetanlekha@gmail.com)

पत्रांक- 1138 / उ0म0प्र0 / पंचम-राज0 /

दिनांक: 31-03-2022

परिपत्र

वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राप्त आय पर प्रकल्पित आयकर (Advance/Tentative Tax) की गणना हेतु सभी कार्मिकों को वेतन एवं भत्तों के साथ अन्य आय, यदि हो तो, से सम्बन्धित सूचना एवं प्राप्त होने वाले आय पर आयकर के विभिन्न धाराओं में छूट पाने हेतु आवश्यक सूचना अपने आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्रेषित किया जाना प्राविधानीत है।

उपरोक्त के सन्दर्भ में उ0प्र0पा0का0लि0 में कार्यरत समस्त कार्मिकों की Advance/Tentative Tax से सम्बन्धित सूचना ERP Software पर अद्यतन कराने (Update) हेतु निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

1. ऐसे समस्त कार्मिक (श्रेणी-I, II एवं III), जिनके द्वारा ESS Portal का उपयोग किया जा रहा है, को निर्देशित किया जाता है कि वह वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राप्त होने वाले आय पर प्रकल्पित आयकर की गणना हेतु आवश्यक सूचनाएं, ESS Portal पर अद्यतन (Update) करना सुनिश्चित करें। उक्त हेतु सम्बन्धित कार्मिकों को ESS Portal के IT Declaration Head में New Request Create करना होगा तथा Consider Actual हेतु बने Box को **Click नहीं किया जायेगा**। सम्बन्धित कार्मिक द्वारा New Request Submits करने के पश्चात् आवश्यक सूचना ERP Software पर स्वतः अद्यतन (Update) हो जायेगी।
2. ऐसे कार्मिक, जिनको ESS Portal पर आवश्यक सूचनाएं अद्यतन किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है/कठिनाई उत्पन्न हो रही है, वह प्रकल्पित आयकर की गणना से सम्बन्धित सूचनाएं निर्धारित प्रारूप (संलग्न -1) में भरकर अपने आहरण एवं वितरण अधिकारी (DDO) को प्रेषित करेंगे जिसके आधार पर सम्बन्धित DDO द्वारा ERP Software पर आवश्यक सूचनाएं अद्यतन (Update) करायी जायेगी।
3. उपरोक्त प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर ही सम्बन्धित कार्मिकों की आयकर का गणना कर उक्तानुसार कटौती की जायेगी। ऐसे कार्मिक, जिनके द्वारा वांछित सूचना ESS Portal पर अद्यतन नहीं की जायेगी अथवा सम्बन्धित DDO को प्रेषित नहीं की जायेगी, को वेतन से की गयी कटौती एवं मकान किराया के मद में किये गये भुगतान के अतिरिक्त किसी अन्य छूट का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में Advance Income Tax Calculate हेतु सभी कार्मिक ESS Portal पर आवश्यक कार्यवाही/निर्धारित प्रारूप में आवश्यक सूचना सम्बन्धित DDO को दिनांक 15.04.2022 तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

निदेशक (का0प्रब0 एवं प्रशा0)

पत्रांक :- 1138 / उ0म0प्र0 / पंचम-राज / तददिनांक 31-03-2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष महोदय, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. समस्त अधिकारी, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. समस्त कर्मचारी, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- ✓ 8. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, यू0पी0पी0सी0एल0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. कट फाइल/ई बुक

Shakti
(नितिन निझावन)

उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)
एवं नोडल अधिकारी, इ0आर0पी0

TENTATIVE INCOME TAX MEMO FOR DEDUCTION OF ADVANCE TAX**For the Financial Year 2022-23 (Assessment Year 2023-24)****U/S- 192(i) OF INCOME TAX ACT**

संलग्नक -01

नाम :	पदनाम :
अभिज्ञान संख्या/सम्प्रेक्षा संख्या	SAP ID. :
फोन नं०/मो०नं० :	अनुभाग :
ई मेल का पता :	पैन संख्या :
आयकर हेतु चयनित विकल्प (नया स्लैब/पुराना स्लैब)	
क्र०सं०	विवरण
	वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अनुमानित आय/आयकर
1.	माह 03/2022 से 02/2023 तक कुल वेतन एवं भत्तों से प्राप्त आय (अनुमानित)
	वर्ष 2022-23 कुल वास्तविक आय
2	घटायें-स्टैण्डर्ड डिडक्शन (अधिकतम) जोड़िये
3	अन्य स्रोत से आय
	योग ((1-2)+3)
4	घटायें : भवन निर्माण अग्रिम पर ब्याज (अधिकतम ₹ 2,00,000/- तक) U/S-24(b)
	अन्य बचत का विवरण (80(C) के अतिरिक्त) :-
1.	
2.	
3.	
5	घटायें : बचत (अधिकतम ₹ 1,50,000/- तक) U/S-80(C) एवं धारा-80 के अन्तर्गत अन्य कटौतियों का विवरण :-
1.	
2.	
3.	
5.	कुल छूट की धनराशि
6.	वर्ष 2022-23 में कुल प्रकल्पित कराधीन आय
देय आयकर का विवरण	
7.	वर्ष 2022-23 में कुल प्रकल्पित आयकर ₹ 0
8.	देय आयकर पर 4 प्रतिशत अधिभार (कालम-7का) (पूर्णांक 1 रु. में)
9.	सम्पूर्ण देय आयकर (कालम 7+8)
10.	प्रस्तावित आयकर की कटौती (कालम 9 को 12 माह में) 1/12 के अनुसार
Monthly deduction GPF Rs.....	
	हस्ताक्षर :
	नाम :
	पदनाम :
NOTE : (अ) वित्तीय वर्ष 2022-2023 (कर निर्धारण वर्ष 2023-2024)	
कराधीन आय पर (पुराने विकल्प में):	
(1) ₹ 2,50,000/-	कुछ नहीं।
(2) ₹ 2,50,000/- से 5,00,000/-	05 प्रतिशत।
(3) ₹ 3,00,000/- से 5,00,000/-	हेत।
(4) ₹ 5,00,000/- से 10,00,000/-	20 प्रतिशत।
(5) ₹ 10,00,000/- से अधिक आय पर	30 प्रतिशत।
अधिभार की देयता :	
(i) ₹ 50,00,000/- तक आय पर	04 प्रतिशत।
(ii) ₹ 50,00,000/- से अधिक आय पर	10 प्रतिशत (कुल देय आयकर पर)।